रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933
No. 99] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मई, 2011

सं. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी

आदेश

(मई, 2011 के 2रे दिन पारित)

यह मामला मुम्बई पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि बढ़ाने से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को अपने आदेश संख्या टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी के माध्यम से 31 मार्च, 2009 की वैधतावाली अवधि के साथ एमबीपीटी की दरमान को अधिसूचित किया था । दिनांक 31 मार्च, 2010 के आदेश के माध्यम से पिछली बार प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2010 अवधि तक बढ़ाई गई थी ।

3. अपने दरमान की संशोधन के लिए मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा अक्टूबर, 2009 में दाखिल प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसे परामर्श के लिए रखा गया है । इस मामले में संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई 18 जनवरी, 2011 को हुई थी । संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 के पत्र के माध्यम से माँगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण को एमबीपीटी ने संशोधित प्रस्ताव के साथ 11 अप्रैल, 2011 को ही दाखिल किया है । मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा दाखिल संशोधित प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संघ को टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है ।

4. पत्तन द्वारा हाल ही में दाखिल संशोधित प्रस्ताव की संवीक्षा एवं उपयोगकर्ता से प्राप्त टिप्पणियाँ, यदि हैं तो आदि के साथ मामले की वैधानिक या कानूनी कार्यवाही में लगनेवाले अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण मुम्बई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता की समाप्त तिथि से 30 सितम्बर, 2011 तक अथवा मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर पारित होने वाले आदेश की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाता है ।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जाएगा ।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2011

No. TAMP/57/2005-MBPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Mumbai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/57/2005-MBPT

ORDER

(Passed on this 2nd day of May 2011)

This case relates to extension of the existing Scale of Rates (SOR) of the Mumbai Port Trust (MBPT).

2. This Authority vide its Order No. TAMP/57/2005-MBPT dated 28th September, 2006 had notified the existing SOR of MBPT with a validity period till 31st March, 2009. The validity of the existing SOR was last extended till 30th September, 2010 *vide* Order dated 31st March, 2010.

3. The proposal filed by the MBPT for revision of its SOR in October 2009 is registered as tariff case and taken on consultation. Joint hearing in the case was held on 18th January, 2011. As agreed at the joint hearing the MBPT has filed revised proposal only on 11th April, 2011 and furnished the additional information/clarification sought *vide* letter dated 11th November, 2010. The revised proposal filed by the MBPT has been circulated to the concerned user/user association for comments.

4. Recognizing the time required for further processing the case including scrutiny of the revised proposal recently filed by the Port and the comments, if any, to be received from the users, this Authority extends the validity of existing Scale of Rates of MBPT from the date of its expiry till 30th September, 2011 or till the effective date of implementation of the Order to be passed in the proposal filed by the MBPT, whichever is earlier.

5. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2009, during the review of its performance, such surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/1431/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.